सत्यमेव जयते

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 07 of 2025

Sub.: Distribution of work of CAO(Treasury and reconciliation).

Consequent to the posting of Chief Administrative Officer (Treasury and Reconciliation) in Northern Railway by transferring the HAG/Post of Railway board, vide Railway board's Order No. E(O)-III/2024/TR/591 dtd. 07.01.2025, the duty list and reporting structure of CAO(T&R) has been decided as under:

A. Duty list of the post of CAO(Treasury and Reconciliation) :

I. Office of CAO (Treasury and reconciliation) shall be the nodal authority for coordination with Zonal Railways, Banks and RBI, to handle all issues related to banking including timely submission of debit scrolls, standardization of scrolls/proforma, delay in remittance, DPI charges on banks, monitoring the implementation of Digital Life certificates etc.

II. Zonal Railway shall continue to interact with the banks and RBI for various activities. However, in case of persistent difficulties experienced by the zonal railways, the office of CAO (Treasury and reconciliation) shall be used for arriving at a speedy resolution.

III. To coordinate IT integration of banking system with IR's IT applications including gateways etc.

IV. To formulate the process flow in case there are modifications/additions in the system of payment/receipt and reconciliation.

V. To examine the proposals related to empanelment of bank for various agency bank business and submit the recommendations to board.

VI. To coordinate with all Zonal Railways regarding the status of reconciliation of all receipts and payments on Indian Railways and identify areas of concern and action to be initiated therein.

VII. To monitor and develop process flows for reconciliation of various financial transactions on Indian Railways to prevent frauds/leakages. To coordinate with Zonal Railways/PUs etc. and Railway board for implementation of such process flows and development of policy if required.

VIII. Any other matters which may arise from time to time as decided by **Member Finance**.

Contd..

B. Further to above, **CAO/Treasury and Reconciliation** would be under the administrative control of **PFA/Northern Railway**, and the Professional reporting in Boards office would be to **PED/Accounts**.

2. The above issues with the approval of the competent authority.

No.2025/O&M/7/6
Dated: 15.01.2025

(Neena Kandpal)
Under Secretary/O&M
Email id: neenakandpal.rb@gov.in
Tele No.: 011-47845590

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

MF, PED/Accounts, PFA/NR,
CAO/Treasury and Reconciliation, JD/FCCA

Copy to:-

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG MoSR(S)

भारत सरकार Government of india
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

<u>2025 का कार्यालय आदेश सं. 07</u>

विषय: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजकोष और समाधान) के कार्य का वितरण।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.01.2025 के आदेश सं. ई(ओ)-(III/2024/टीआर/591 के तहत रेलवे बोर्ड के उच्च प्रशासनिक ग्रेड/पद को स्थानांतरित करते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजकोष एवं समाधान) के पद को उत्तर रेलवे में तैनात करने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजकोष एवं समाधान) की ड्यूटी सूची एवं रिपोर्टिंग संरचना निम्नानुसार निश्चित की गई है:

क. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजकोष एवं समाधान) की ड्यूटी सूची :

I. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजकोष एवं समाधान) का कार्यालय जमा सूची (डेबिट स्क्रॉल) समय पर प्रस्तुत करना, सूचियों (स्क्रॉल)/प्रपत्रों का मानकीकरण, प्रेषण में विलंब, बैंको पर डीपीआई प्रभार, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों को लागू करने की निगरानी आदि सहित बैंकिंग से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए क्षेत्रीय रेलों, बैंकों तथा आरबीआई के साथ समन्वय के लिए नोडल प्राधिकरण होगा।

II. क्षेत्रीय रेलवे विभिन्न गतिविधियों के लिए बैंकों तथा आरबीआई के साथ संवाद जारी रखेगी। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों द्वारा अनुभव की जा रही निरंतर कठिनाइयों के मामले में शीघ्र समाधान के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजकोष एवं समाधान) के कार्यालय का उपयोग किया जाएगा।

III. गेटवे आदि सहित भारतीय रेल की आईटी एप्लीकेशनों के साथ बैंकिंग प्रणाली के आईटी एकीकरण का समन्वय करना।

IV. भुगतान/प्रापण तथा समाधान प्रणाली में आशोधनों/परिवर्धन के मामले में प्रोसेस फ्लो को व्यवस्थित करना।

V. विभिन्न एजेंसी बैंक व्यापार के पैनलबद्ध करने संबंधी प्रस्तावों की जांच करना तथा बोर्ड को संस्तुतियां प्रस्तुत करना।

VI. भारतीय रेल पर सभी प्राप्तियों तथा विप्रेषण के समाधान की स्थिति के संबंध में सभी क्षेत्रीय रेलों से समन्वय बनाना तथा ध्यान देने योग्य क्षेत्रों की पहचान करना और इसके संबंध में शुरू की जाने वाली कार्रवाई करना।

VII. धोखाधड़ी/लीकेजों की रोकथाम के लिए भारतीय रेल पर होने वाले विभिन्न वित्तीय संव्यवहारों के समाधान के लिए प्रोसेस फ्लो की निगरानी करना और उसे विकसित करना। ऐसे प्रोसेस फ्लो को लागू करने और यदि आवश्यक हो, नीति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि तथा रेलवे बोर्ड के बीच समन्वय स्थापित करना।

VIII. सदस्य वित्त द्वारा यथा निर्धारित समय-समय पर उठाए जाने वाले अन्य मामले।

ख. उपरोक्त के अतिरिक्त, **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/राजकोष एवं समाधान** का प्रशासनिक नियंत्रण **प्रधान वित्त सलाहकार/उत्तर रेलवे** के अधीन होगा और बोर्ड कार्यालय में **प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा** को रिपोर्ट करेंगे।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

नीना

सं.2025/ओएंडएम/7/6
दिनांक 15.01.2025

(नीना कांडपाल)
अवर सचिव/ ओएंडएम
ईमेल आईडी: neenakandpal.rb@gov.in
दूरभाष सं. 011-47845590

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली में सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

सदस्य वित्त, प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा, प्रधान वित्त सलाहकार/उत्तर रेलवे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजकोष एवं समाधान), संयुक्त निदेशक/एफसीसीए

प्रतिलिपि प्रेषित :

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)